10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3572-एक/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-7-2014 - पारित व्दारा तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 8 अ-6/2010-11

बालमुकन्द पुत्र कल्लू लोधी
ग्राम ईदोर, तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर , म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1- हजरत सिंह पुत्र स्व.तखत सिंह
2- रतन सिंह पुत्र स्व.तखत सिंह
3- संपतवाई पुत्री स्व.तखत सिंह
4- मानकुँअर पुत्री स्व.तखत सिंह
5- अनिरूद्धसिंह नावा. पुत्र बचन सिंह
सरपरस्त पिता बचन सिंह
6- धनपाल सिंह पुत्र अमर सिंह लोधी
सभी ग्राम ईदोर तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक क्र-1,4 के अभिभाषक श्री डी.एस.चौहान)

आ दे श

(आज दिनांक 8-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 8 अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम ईदोर स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 2121/1 रकबा 1.390 हैक्टर पर उसका 17-5-1993 से कब्जा चला आ रहा है किन्तु रोस्टर के समय कब्जा लिखना छूट गया है इसलिये कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 8 अ-6/2010-11 पंजीबद्ध किया। आवेदक ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत इसी भूमि पर भूमिस्वामी घोषित कर अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु दावा लगाया , जिस पर प्रकरण क्रमांक 477 बी 121/2012-13 पंजीबद्ध करके दोनों प्रकरणों को एकसाथ सम्मिलित कर सुनवाई की गई। तहसीलदार ने आवेदक को श्रवण कर आदेश दिनांक 30-7-2014 पारित किया तथा स्वत्व घोषणा का दावा सुनने के अधिकार न होना निरूपित कर आवेदक के आवेदन निरस्त कर दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक 1 एंव 4 के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदक क्रमांक 1 से 4 के अभिभाषक ने लेखी

बहस प्रस्तुत करने की मंशा जताई, उन्हें सात दिवस का अवसर दिया गया, किन्तु आदेश पारित होने तक उनके व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण के निराकरण हेतु दो वाद बिन्दु बनाये गये।

1. क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ?
2. क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190 के अंतर्गत वाद श्रवण करने की शक्तियॉ तहसीलदार को हैं ? .

(1) क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा दर्ज किया जा सकता है ? इस पर विचार करने से स्थिति यह है कि -

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 115 सहपठित 116 के अधीन कब्जा लिखने के सम्बन्ध में किसी मामले का निराकरण नहीं किया जा सकता है एंव किसी व्यक्ति के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर किसी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं लिखा जा सकता है। **(चन्दन सिंह विरूद्ध कृपाल सिंह 2006 राजस्व निर्णय 104 एंव रामस्वरूप बनाम कलावती तथा अन्य 2007 राजस्व निर्णय 199 से अनुसरित)**

अतएव तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा आदेश दिनांक 30-7-2014 में लिया गया निर्णय सही होना पाया गया है।

(2) क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190 के अंतर्गत वाद श्रवण करने की शक्तियॉ तहसीलदार को हैं ?

मौरूषी कृषकत्व के आधार पर आवेदक ने संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर ग्राम ईदोर स्थिति भूमि सर्वे कमांक 2121/1 रकबा 1.390 हैक्टर पर स्वत्व प्राप्त होने से नाम दर्ज की मांग की है। मौरूषी कृषक होने के आधार पर म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 के अंतर्गत स्वत्व प्राप्त होना मानकर नामान्तरण कार्यवाही नहीं की जा सकंती। **विमलावाई चौधरी विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य 2009 रा.नि. 242 उच्च न्यायालय एंव रामचरण विरूद्ध बाबूसिंह सिकरवार तथा अन्य 2009 रा.नि. 296 के न्याय दृष्टांत हैं कि तहसीलदार के समक्ष धारा 190 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत उपचार मात्र सिविल वाद है।**
उपरोक्त कारणों से तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 8 अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2014 विधिवत् होना पाया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 8 अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-7-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर